



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 204 राँची, सोमवार,

3 अप्रैल, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 मार्च, 2023

संख्या-8/चुनाव/102/2018/न.वि.आ.-..1116...--

विषय:-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Special Leave to Appeal (c) No.-(s) 19756 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-3615 दिनांक-17.10.2022 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या-19756/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) मामले में दिनांक-19.01.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

"In case, the State or the Union Territory is not in a position to fulfil the triple test requirement and the election to any of its local body cannot be postponed beyond the statutory period, the concerned (State) Election Commission ought to notify proportionate seats as open category seats, and proceed with the elections of the local bodies."

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-3615 दिनांक-17.10.2022 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गये:-

(i) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-16 एवं एतद् नियमावली, 2012 के नियम 5 से 9 के अधीन स्थानों एवं पदों के संबंध में जिला दण्डाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दृष्टिगत पिछड़ा वर्ग को खुले श्रेणी अर्थात् अनारक्षित मानते हुए आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

(ii) अधिनियम की धारा-16(2)(घ)(स्पष्टीकरण) के अधीन वर्ष 2023 के निर्वाचन को तृतीय आम निर्वाचन मानते हुए तथा पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को अन्य श्रेणी में शामिल करने के उपरांत आरक्षण एवं आवंटन तथा महिला आरक्षण के चक्रानुक्रम की कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार सभी नगरपालिकाओं में नाम-निर्देशन से लेकर अन्यान्य निर्वाचन की सभी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

उक्त के आलोक में, पूर्व में प्रकाशित जिला/राज्य गजट में आरक्षण-आवंटन की कार्रवाई यथानुरूप संशोधित की जाएगी।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 में नगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए महापौर/अध्यक्ष के पदों के आवंटन के लिए प्रावधानित चक्रानुक्रम को संशोधित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अधिनियम में संशोधन के पश्चात् झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के सुसंगत नियमों में संशोधन की जायेगी। अतएव नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-3615 दिनांक-17.10.2022 द्वारा लिए गये निर्णय को निरसित किये जाने की आवश्यकता है।

4. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Special Leave to Appeal (c) No.-(s) 19756 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-3615 दिनांक-17.10.2022 को निरस्त किया जाता है।

5. कंडिका 4 में वर्णित निर्णय पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.03.2023 को आहूत बैठक में मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चैबे,
सरकार के सचिव।
